

उत्तर प्रदेश शासन
दुग्ध विकास अनुभाग-1
संख्या- 84 / 53-1-2022-1(विविध)/2018
लखनऊ: दिनांक 02 फरवरी, 2022

संशोधन

प्रदेश में दुग्ध प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना एवं विकास के उद्देश्य से अधिसूचना संख्या-1/2018/548/53-1-2018-1(विविध)/2018, दिनांक 07 जून, 2018 द्वारा उ0प्र0 दुग्ध नीति-2018 प्रख्यापित की गयी। उक्त नीति के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या-1073/53-1-2018-1(विविध)/2018, दिनांक 19 नवम्बर, 2018 द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किये गये। दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास उ0प्र0 के पत्रांक-436/दु0परि0/दुग्ध नीति-2018/दिशा-निर्देश संशोधन, दिनांक 21 जनवरी, 2022 द्वारा उ0प्र0 दुग्ध नीति-2018 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में निर्गत दिशा-निर्देशों में, खाद्य प्रसंस्करण विभाग उ0प्र0 शासन की भांति संशोधन का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया।

2- दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास उ0प्र0 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उ0प्र0 दुग्ध नीति-2018 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में निर्गत दिशा-निर्देश दिनांक 19 नवम्बर, 2018 में निम्नवत संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया:-

दिशा निर्देश का प्रस्तर	वर्तमान प्राविधान	संशोधित प्राविधान का प्रस्ताव
1	2	3
नीति की अवधि/ प्रस्तावों की पात्रता- इस योजना के अन्तर्गत वह दुग्ध इकाईयाँ पात्र होगी जो अधिसूचना सं0-1/2018/548/53-1-2018-1(विविध)/2018, दिनांक 07-06-2018 की तिथि से पाँच वर्ष तक की अवधि में प्लांट मशीनरी एवं तकनीकी सिविल कार्य हेतु बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिये गये सावधि ऋण (टर्म लोन) की धनराशि सम्बन्धित से प्राप्त कर ली हो। 05 वर्षों की समयावधि की गणना ऋण वितरण की प्रथम तिथि से की जायेगी।	नीति की अवधि/प्रस्तावों की पात्रता- इस योजना के अन्तर्गत वह दुग्ध प्रसंस्करण इकाईयाँ एवं पशुओं के लिये तकनीकी निवेश आधारित इकाईयाँ पात्र होगी जो अधिसूचना सं0-1/2018/548/53-1-2018-1(विविध)/2018, दिनांक 07-06-2018 की तिथि से पाँच वर्ष तक की अवधि में प्लांट मशीनरी एवं तकनीकी सिविल कार्य हेतु बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिये गये सावधि ऋण (टर्म लोन) की धनराशि सम्बन्धित से प्राप्त कर ली हो। 05 वर्षों की समयावधि की गणना ऋण वितरण की प्रथम तिथि से की जायेगी। आवेदन आनलाइन प्राप्त किये जायेंगे।	
2	वित्तीय अनुदान एवं रियायतें- प्रदेश में दुग्ध उद्योग के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने हेतु एवं उद्योगों के विकास तथा प्रतिस्पर्धात्मक बनाये रखने के लिये राज्य सरकार द्वारा समुचित कदम उठाये जायेंगे, जिनमें विभिन्न प्रकार की रियायतें, वित्तीय सुविधायें एवं अनुदान उपलब्ध कराये जायेंगे। उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति-2018 के अन्तर्गत पूँजीगत निवेश अनुदान, कोल्ड चेन, मूल्य संवर्धन तथा दुग्ध प्रसंस्करण अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर अनुदान, ब्याज उपादान, गुणवत्ता, मानकीकरण, प्रोत्साहन प्राविधान, पेटेंट/	वित्तीय अनुदान एवं रियायतें- उ0प्र0 को दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में निरन्तर अग्रणी बनाये रखने के साथ-साथ दुग्ध उद्योग के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने हेतु एवं उद्योगों के विकास तथा प्रतिस्पर्धात्मक बनाये रखने के लिये राज्य सरकार द्वारा समुचित कदम उठाये जायेंगे, जिनमें विभिन्न प्रकार की रियायतें, वित्तीय सुविधायें एवं अनुदान उपलब्ध कराये जायेंगे। उ0प्र0 दुग्ध नीति-2018 के द्वारा प्रदेश में ग्रामीण अंचल के किसानों को दुग्ध व्यवसाय में अभिरूचि पैदा कर स्वरोजगार में स्थापित करना, दुग्ध उत्पादकों के हितों की रक्षा करना, दुग्ध उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता के दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ उपलब्ध कराना, नये रोजगार का सृजन करना तथा दुग्ध

02/02/2022
दुग्ध आयुक्त

867/PA/100
02/02/2022

02/02/2022

(डा० राम रामर)
दुग्ध अफसर (उ०)

1325/PA/1000
03-2-22

	डिजाइन पंजीकरण प्राविधान, बाजार विकास एवं ब्राण्ड प्रोत्साहन तथा मानव विकास के प्राविधान किये जायेंगे। उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति-2018 के अंतर्गत स्थापित होने वाली इकाईयों को निम्नांकित रियायतें एवं अनुदान सुविधायें अनुमन्य होगी:-	प्रसंस्करण इकाईयों एवं तकनीकी निवेश आधारित इकाईयों की स्थापना के लिये उपयुक्त वातावरण तैयार करने हेतु अवस्थापना सुविधाओं का विकास, पूँजी निवेश तथा तकनीकी उन्नयन का प्रोत्साहन, मानव संसाधन विकास, बाजार विकास अनुसंधान एवं विकास प्रोत्साहन, गुणवत्ता एवं प्रमाणीकरण तथा अनुदान एवं रियायतें आदि कार्यक्रम सन्निहित है। उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति-2018 के अन्तर्गत पूँजीगत निवेश अनुदान, कोल्ड चेन, मूल्य संवर्धन तथा दुग्ध प्रसंस्करण अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर अनुदान, ब्याज उपादान एवं ब्राण्ड प्रोत्साहन तथा मानव विकास के प्राविधान किये जायेंगे। उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति- 2018 के अंतर्गत स्थापित होने वाली इकाईयों को निम्नांकित रियायतें एवं अनुदान सुविधायें अनुमन्य होगी:-
2.1	पूँजीगत निवेश अनुदान- उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति-2018 के अन्तर्गत दुग्ध प्रसंस्करण आधारित इकाईयों की स्थापना तथा पशुओं के लिये तकनीकी निवेश आधारित इकाई की स्थापना, विस्तारीकरण, आधुनिकीकरण/उन्नयन पर प्लांट मशीनरी एवं तकनीकी सिविल कार्य की लागत का 25 प्रतिशत जो अधिकतम धनराशि रू0 50.00 लाख की सीमा तक दो समान किशतों में अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। उद्यमी के पास ज्ञात स्रोतों से परियोजना हेतु धनराशि की उपलब्धता होने की स्थिति में ऋण लेने की अनिवार्यता नहीं होगी।	पूँजीगत निवेश अनुदान- उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति-2018 के अन्तर्गत दुग्ध प्रसंस्करण आधारित इकाईयों की स्थापना तथा पशुओं के लिये तकनीकी निवेश आधारित इकाई की स्थापना, विस्तारीकरण, आधुनिकीकरण/ उन्नयन पर प्लांट मशीनरी एवं तकनीकी सिविल कार्य की लागत का 25 प्रतिशत जो अधिकतम धनराशि रू0 50.00 लाख की सीमा तक अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। उद्यमी के पास ज्ञात स्रोतों से परियोजना हेतु धनराशि की उपलब्धता होने की स्थिति में ऋण लेने की अनिवार्यता नहीं होगी।
3	आवेदन पत्र की प्राप्ति- वित्तीय सहायता प्राप्त करने की इच्छुक संस्थाओं के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निर्धारित रूप पत्र पर (प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर एवं नम्बर अंकित कर) आवेदन वांछित अभिलेखों सहित तीन प्रतियों में स्टेट नोडल एजेंसी (उ0प्र0 राज्य दुग्ध परिषद) को प्रस्तुत करेंगे।	आवेदन पत्र की प्राप्ति- वित्तीय सहायता प्राप्त करने की इच्छुक संस्थाओं के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निर्धारित रूप पत्र पर (प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर एवं पृष्ठ नम्बर अंकित कर) आवेदन वांछित अभिलेखों सहित तीन प्रतियों में स्टेट नोडल एजेंसी (उ0प्र0 राज्य दुग्ध परिषद) को प्रस्तुत करेंगे।
3.1	उद्योगों की स्थापना/विस्तारीकरण/ आधुनिकीकरण से सम्बन्धित आवेदन व्यवसायिक उत्पादन शुरू किये जाने से कम से कम दो माह पूर्व नोडल एजेंसी को प्राप्त होना आवश्यक है। व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ करने के उपरांत उपलब्ध कराये गये आवेदन पत्रों पर कार्यवाही नहीं की जायेगी। अनुदान हेतु आवेदन प्राप्त किये जाने की तिथि को शत- प्रतिशत निर्माण कार्य, मशीन एवं उपकरणों की स्थापना तथा शत-प्रतिशत टर्म लोन उपयोग होने की दशा में अनुदान हेतु आवेदन ग्राह्य नहीं होगा।	उद्योगों की स्थापना/विस्तारीकरण/ आधुनिकीकरण से सम्बन्धित पूँजीगत अनुदान एवं ब्याज उपादान के आवेदन एक साथ व्यवसायिक उत्पादन शुरू किये जाने से दो माह पूर्व यथासम्भव नोडल एजेंसी को उपलब्ध कराना आवश्यक है।

3.2	उद्योगों की स्थापना/विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण हेतु ब्याज उपादान हेतु आवेदन, व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ करने के विलम्बतम छः माह के भीतर निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत किये जायेंगे।	विलोपित।
8	आवेदन प्रपत्र के साथ वांछित अभिलेख	आवेदन प्रपत्र के साथ वांछित अभिलेख
8.1	पूँजी निवेश अनुदान एवं ब्याज उपादान योजनान्तर्गत दुग्ध प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना/ विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण उन्नयन द्वारा स्वीकृत दुग्ध इकाईयों हेतु वांछित अभिलेख-	पूँजी निवेश अनुदान एवं ब्याज उपादान योजनान्तर्गत दुग्ध प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना/ विस्तारीकरण/ आधुनिकीकरण उन्नयन द्वारा स्वीकृत दुग्ध इकाईयों हेतु वांछित अभिलेख-
8.1(5)	किये गये निर्माण कार्य हेतु वस्तुवार मूल्यवार चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा प्रमाणित विवरण और इस आशय का प्रमाणपत्र कि उनके द्वारा निर्माण कार्य से सम्बन्धित समस्त बिल बाउचरों का भलीभांति परीक्षण कर लिया गया है और वह नियमानुसार ठीक है। (एनेक्जर- ए-2)	विलोपित।
8.1(6)	कय की गयी मशीन उपकरणों का वस्तुवार, मूल्यवार निर्धारित प्रारूप पर चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा प्रमाणित विवरण और इस आशय का प्रमाणपत्र कि उनके द्वारा समस्त बिल बाउचर्स की अच्छी तरह जाँच कर ली गयी है और वह नियमानुसार ठीक है। बिलवार/ बाउचरवार भुगतान चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित विवरण (एनेक्जर- ए-3)	विलोपित।
8.1(7)	निर्धारित प्रारूप पर चार्टर्ड इंजीनियर (सिविल) द्वारा तकनीकी सिविल कार्य का मदवार एवं लागतवार (मूल बिल की प्रमाणित प्रति सहित) प्रमाणित विवरण। (एनेक्जर- ए-7)	निर्धारित प्रारूप पर चार्टर्ड इंजीनियर (सिविल) द्वारा तकनीकी सिविल कार्य का मदवार एवं लागतवार (स्टीमेट पर आधारित) प्रमाणित विवरण। (एनेक्जर- ए-7)
8.1(8)	निर्धारित प्रारूप पर चार्टर्ड इंजीनियर (मैकेनिकल) द्वारा प्लांट मशीनरी एवं स्पेयर पार्ट्स (मूल बिल की प्रमाणित प्रति सहित) प्रमाणित विवरण। (एनेक्जर-ए-8)	निर्धारित प्रारूप पर चार्टर्ड इंजीनियर (मैकेनिकल) द्वारा प्लांट मशीनरी एवं स्पेयर पार्ट्स (कोटेशन एन्वाइस आधारित) प्रमाणित विवरण। (एनेक्जर-ए-8)
8.1(10)	संगठन के आफिस बियरर/ प्रोमोटर का स्वहस्ताक्षरित बायो-डाटा।	विलोपित।
8.1(11)	विस्तारीकरण/उच्चीकरण की दशा में, पिछले तीन वर्षों हेतु चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा प्रमाणित आडिटेड स्टेटमेंट और वार्षिक प्रतिवेदन।	विलोपित।
8.1(12)	बिल्डिंग प्लान का सक्षम स्तर से अनुमोदित ब्लूप्रिण्ट एवं उद्योगशाला का भू-अभिलेख (हिन्दी/अंग्रेजी भाषा में)।	बिल्डिंग प्लान का सक्षम स्तर से अनुमोदित मानचित्र एवं उद्योगशाला का भू-अभिलेख (हिन्दी/अंग्रेजी भाषा में)।
8.1(13)	लघु उद्योग (एस0एस0आई0)/ इण्डस्ट्रीयल इण्टरप्रेनियम मेमोरैण्डम (आई0ई0एम0)/ उद्योग आधार पंजीकरण इत्यादि।	विलोपित।
8.1(14)	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र।	विलोपित।
8.1(15)	अकृषि भूमि का सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र।	विलोपित।

8.1(16)	अग्निशमन प्रमाणपत्र (सक्षम स्तर से जारी)	विलोपित।
8.1(17)	खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग से प्राप्त (एफ0एस0 एस0ए0आई0) लाइसेंस।	विलोपित।
8.1(18)	परियोजना से सम्बन्धित अन्य लाइसेंस।	विलोपित।
8.1(19)	रू0 100/- के नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरीकृत इस आशय कि उसके द्वारा प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत समस्त अभिलेख सत्य एवं सही है। कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। (एनेक्जर-ए-6)	रू0 100/- के नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरीकृत इस आशय का शपथ पत्र कि उसके द्वारा प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत समस्त अभिलेख सत्य एवं सही है तथा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। (एनेक्जर-ए-6)
8.1(20)	रू0 100/- के नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप पर क्षतिपूर्ति अनुबंध (Agreement of Indemnity) (ब्याज उपादान हेतु एनेक्जर-ए/9)	विलोपित।
8.1(21)	क्रियान्वयन समय सारणी, जिसके अंतर्गत:- (अ) भूमि अधिग्रहण की तिथि। (ब) भवन निर्माण प्रारम्भ होने की तिथि। (स) निर्माण पूर्ण होने की तिथि। (द) प्लांट और मशीनरी के कय हेतु आदेश निर्गत करने की तिथि। (य) प्लांट और मशीरी के स्थापना/संस्थापन की तिथि। (र) उत्पादन के ट्रायल की तिथि। (ल) व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ हो जाने की तिथि।	विलोपित।
8.2	ब्याज उपादान हेतु प्रस्तर-8.1 में वर्णित अभिलेख के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से निम्नलिखित अभिलेख उपलब्ध कराने होंगे:-	
8.2.1	सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने (व्यवसायिक कार्य चालान अर्थात् प्रथम वाणिज्यिक लेन-देन की तिथि) से सम्बन्धित पत्र (इकाई हेतु ब्याज उपादान सम्बन्धी)।	विलोपित।
8.2.2	निर्धारित प्रारूप पर बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा ब्याज उपादान/ अनुदान हेतु बैंक क्लेम प्रपत्र (एनेक्जर/14)	विलोपित।
8.2.3	निर्धारित प्रारूप (एनेक्जर/4) पर चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र।	विलोपित।
9	पूँजीगत अनुदान स्वीकृत एवं अवमुक्त करने की प्रक्रिया- अनुदान/वित्तीय सहायता सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति और अनुमोदन के पश्चात दो समान किशतों में जारी की जायेगी। अनुदान धनराशि अप्रेजिंग बैंक को	पूँजीगत अनुदान स्वीकृत एवं अवमुक्त करने की प्रक्रिया- पूँजीगत अनुदान एवं ब्याज उपादान अवमुक्त करने की प्रक्रिया अनुदान/वित्तीय सहायता सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति और अनुमोदन के पश्चात जारी की जायेगी। अनुदान धनराशि अप्रेजिंग बैंक को अवमुक्त की जायेगी, जिसे बैंक द्वारा उद्यमी/ऋण प्राप्तकर्ता के टर्मलोन खाते में

	<p>अवमुक्त की जायेगी, जिसे बैंक द्वारा सावधि ऋण अवधि में उद्यमी/ऋण प्राप्तकर्ता के नाम से फिक्स डिपॉजिट के रूप में रखी जायेगी, जिस पर बैंक द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा तथा अनुदान धनराशि के बराबर संस्था द्वारा लिये गये सावधि ऋण पर कोई ब्याज नहीं लिया जायेगा। प्रथम व द्वितीय किश्त की धनराशि व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ होने/अनुदान धनराशि अवमुक्त होने के तीन वर्ष बाद उद्यमी के ऋण खाते में समायोजित की जायेगी। यदि संस्था द्वारा तीन वर्षों के पहले इकाई बन्द कर दी जाती है तो बैंक में रखी फिक्स डिपॉजिट धनराशि मय ब्याज स्टेट नोडल एजेंसी/नोडल विभाग को वापस करनी होगी।</p>
<p>9.1 पूँजीगत अनुदान की प्रथम किश्त का अवमुक्त किया जाना— संस्था/फर्म द्वारा टर्म लोन की 50 प्रतिशत धनराशि प्रमोटर अंश की 50 प्रतिशत धनराशि व्यय कर लिये जाने, संयुक्त निरीक्षण दल (जे0आई0टी0) द्वारा भौतिक सत्यापन कर लिये जाने के उपरान्त ही अनुदान अवमुक्त किया जायेगा। संयुक्त निरीक्षण दल में निम्नवत सदस्य होंगे:— 1-सम्बन्धित जनपद के उप दुग्धशाला विकास अधिकारी अथवा मण्डलीय दुग्धशाला विकास अधिकारी। 2-सम्बन्धित बैंक के प्रबंधक। 3-सम्बन्धित जनपद के जिला उद्यान अधिकारी। उक्त के साथ ही निम्नलिखित अभिलेख जमा करने के उपरान्त ही अनुदान की प्रथम किश्त अवमुक्त की जायेगी:—</p>	<p>आंशिक संशोधित। पूँजीगत अनुदान का अवमुक्त किया जाना— शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1511/53-1-2021-01(विविध)/2018, दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 द्वारा निम्नवत संयुक्त निरीक्षण दल का पुनर्गठन किया गया है:— 1-सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी के प्रतिनिधि। 2-सम्बन्धित मण्डलीय दुग्धशाला विकास अधिकारी। 3-सम्बन्धित ऋण प्रदाता बैंक का प्रबंधक। उक्त शासनादेश को समायोजित करते हुये इकाई द्वारा व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ किये जाने के उपरान्त निम्नलिखित अभिलेख प्राप्त कर एकमुश्त अनुदान धनराशि अवमुक्त की जायेगी:—</p>
<p>(1) लाभार्थी/संस्था द्वारा रू0 100/- नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप पर क्षतिपूर्ति अनुबंध (Agreement of Indemnity) पत्र (एनेकजर-ए/9) (2) लाभार्थी/संस्था द्वारा रू0 100/- नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप पर नोटरीकृत शपथपत्र कि उसके द्वारा प्रश्नगत योजना हेतु किसी अन्य संस्था/ संगठन से वित्तीय अनुदान न तो प्राप्त किया गया है और न ही आवेदन किया गया है। (एजेकजर-ए-10)</p>	<p>(1) रू0 100/- के नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप पर क्षतिपूर्ति अनुबंध (Agreement of Indemnity) (ब्याज उपादान हेतु एनेकजर-ए/9) (2)लाभार्थी द्वारा रू0 100/- के नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप पर नोटरीकृत शपथपत्र कि उसके द्वारा प्रश्नगत योजना हेतु किसी अन्य संस्था/ संगठन से वित्तीय अनुदान न तो प्राप्त किया गया है और न ही आवेदन किया गया है। (एजेकजर-ए-10)</p>

<p>(3) बैंक/वित्तीय संस्था से 50 प्रतिशत टर्म लोन अवमुक्त किये जाने तथा उसके सदुपयोग किये जाने एवं बैंक द्वारा इस आशय का प्रमाणपत्र कि उनको राज्य द्वारा अनुदान की प्रथम किश्त अवमुक्त किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। (एनेक्जर-ए/11)</p>	<p>(3) बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत प्रमाणपत्र कि उन्हें राज्य सरकार द्वारा अनुदान की धनराशि अवमुक्त करने में कोई आपत्ति नहीं है। (एनेक्जर-ए/11)</p>
<p>(4) चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा अपने सदस्यता नम्बर सहित लेटर हेड पर निर्धारित परियोजना हेतु किये गये वास्तविक व्यय तथा वित्त के स्रोत एवं 50 प्रतिशत या अधिक अंश पूंजी और टर्म लोन के व्यय होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र (एनेक्जर-ए-4)</p> <p>(5) क्रय की गयी मशीन उपकरणों का वस्तुवार मूल्यवार निर्धारित प्रारूप पर चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा विवरण और इस आशय का प्रमाण-पत्र कि उनके द्वारा समस्त बिल बाउचर्स की जाँच कर ली गयी है और वह ठीक है। बिलवार/बाउचरवार भुगतान चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित का विवरण। (एनेक्जर-ए/3)</p> <p>(6) किये गये निर्माण कार्य हेतु वस्तुवार, मूल्यवार चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा प्रमाणित विवरण तथा इस आशय का प्रमाणपत्र कि उनके द्वारा निर्माण कार्य से सम्बन्धित समस्त बिल बाउचरों का भलीभाँति परीक्षण कर लिया गया है और वह ठीक है। (एनेक्जर-ए/2)</p> <p>(7) चार्टर्ड इंजीनियर (सिविल) द्वारा प्रदत्त वस्तुवार मूल्यवार किये गये निर्माण का विवरण तथा इस आशय का प्रमाणपत्र कि किये गये निर्माण कार्य की गुणवत्ता औद्योगिक उपयोग हेतु ठीक है तथा इसके साथ बिल्डिंग के प्रमाणित फोटोग्राफ दिनांक सहित (एनेक्जर-ए/7)।</p> <p>(8) चार्टर्ड इंजीरियर (मैकेनिकल) द्वारा प्रदत्त वस्तुवार मूल्यवार मशीन उपकरणों का निर्धारित प्रारूप पर विवरण तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र कि क्रय किये गये समस्त मशीन उपकरण नवीन है तथा गुणवत्ता संतोषजनक है। इकाई के विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण की स्थिति में पूर्व से उपलब्ध मशीन उपकरणों की प्रमाणित सूची (एनेक्जर-ए/8)।</p>	<p>(4) चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा अपने सदस्यता नम्बर सहित लेटर हेड पर निर्धारित प्रारूप पर प्रमाणपत्र (एनेक्जर-ए-4)।</p> <p>(5) क्रय की गयी मशीन उपकरणों का वस्तुवार मूल्यवार निर्धारित प्रारूप पर चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा विवरण और इस आशय का प्रमाणपत्र कि उनके द्वारा समस्त बिल बाउचर्स की जाँच कर ली गयी है और वह ठीक है। बिलवार/बाउचरवार भुगतान चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित विवरण। (एनेक्जर-ए/3)</p> <p>(6) किये गये निर्माण कार्य हेतु वस्तुवार, मूल्यवार चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा प्रमाणित विवरण तथा इस आशय का प्रमाणपत्र कि उनके द्वारा निर्माण कार्य से संबंधित समस्त बिल बाउचरों का भलीभाँति परीक्षण कर लिया गया है और वह ठीक है। (एनेक्जर-ए/2)</p> <p>(7) चार्टर्ड इंजीनियर (सिविल) द्वारा प्रदत्त वस्तुवार किये गये निर्माण कार्य का निर्धारित प्रारूप पर प्रमाणित विवरण (एनेक्जर-ए/7)।</p> <p>(8) चार्टर्ड इंजीरियर (मैकेनिकल) द्वारा प्रदत्त मूल्यवार मशीन उपकरणों का निर्धारित प्रारूप पर प्रमाणित विवरण (एनेक्जर-ए/8)।</p>

	<p>(9) अनुदान की प्रथम किश्त अवमुक्त से पूर्व दुग्ध आयुक्त कार्यालय द्वारा गठित संयुक्त निरीक्षण समिति द्वारा स्थलीय सत्यापन कराया जायेगा एवं समिति की संस्तुति के अनुसार अनुदान के भुगतान की कार्यवाही पर विचार किया जायेगा।</p>	<p>9(अ) खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग से प्राप्त (एफ0एस0एस0ए0आई0) लाइसेंस। 9(ब) लघु उद्योग (एस0एस0आई0)/इण्डस्ट्रीयल इण्टरप्रनियम मेमोरैण्डम(आई0ई0एम0)/उद्योग आधार पंजीकरण इत्यादि। 9(स) दुग्ध आयुक्त कार्यालय द्वारा गठित संयुक्त निरीक्षण समिति द्वारा की गयी स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट। नोट-धनराशि अवमुक्त होने के पश्चात लाभार्थी/संस्था के प्रमोटर द्वारा हस्ताक्षरित तथा चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा अभिप्रमाणित और बैंक द्वारा जारी प्रति हस्ताक्षरित प्रपत्र सं0 जी0एफ0आर0-19ए पर उपयोगिता प्रमाणपत्र (एनेकजर-ए/5)</p>
<p>9.2</p>	<p>पूँजीगत अनुदान की द्वितीय किश्त का जारी किया जाना-</p> <p>अनुदान की द्वितीय किश्त इकाई में व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ हो जाने की पुष्टि होने के बाद संयुक्त निरीक्षण दल (जे0आई0टी0) द्वारा भौतिक सत्यापन कर लिये जाने तथा संस्था द्वारा टर्म लोन की 100 प्रतिशत धनराशि तथा प्रमोटर अंश की 100 प्रतिशत धनराशि के साथ-साथ अनुदान की प्रथम किश्त उपयोग कर लिये जाने से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख उपलब्ध कराने के उपरान्त जारी की जायेगी:-</p> <p>(1)लाभार्थी/संस्था के प्रमोटर द्वारा हस्ताक्षरित तथा चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा अभिप्रमाणित और बैंक द्वारा जारी प्रति हस्ताक्षरित प्रपत्र सं0 जी0एफ0 आर0-19 ए पर उपयोगिता प्रमाणपत्र (एनेकजर-ए/5)</p> <p>(2)चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा निर्धारित रूप पत्र पर परियोजना हेतु किये गये वास्तविक व्यय तथा वित्त के स्रोत एवं 100 प्रतिशत अंशपूँजी और टर्म लोन के व्यय होने सम्बन्धी प्रमाणपत्र (एनेकजर-ए/4)।</p> <p>(3) बैंक/ वित्तीय संस्था से इस आशय का प्रमाणपत्र कि उनके द्वारा 100 प्रतिशत टर्म लोन और अनुदान की प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है और उन्हें राज्य द्वारा अनुदान की द्वितीय किश्त अवमुक्त करने में कोई आपत्ति नहीं है (एनेकजर-ए/12)</p> <p>(4)कय की गयी मशीन उपकरणों का वस्तुवार मूल्यवार निर्धारित प्रारूप पर चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा प्रमाणित विवरण और इस आशय का प्रमाणपत्र कि उनके द्वारा समस्त बिल बाउचर्स की अच्छी तरह जाँच कर ली गयी है और -</p>	<p>विलोपित।</p>

	<p>एकाउण्टेंट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित विवरण (एनेक्जर-ए/3)।</p> <p>(5) किये गये निर्माण कार्य हेतु वस्तुवार मूल्यवार चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा प्रमाणित विवरण तथा इस आशय का प्रमाणपत्र कि उनके द्वारा निर्माण कार्य से सम्बन्धित समस्त बिल बाउचरों को भलीभाँति परीक्षण कर लिया गया है और वह ठीक है। (एनेक्जर-ए/2)</p> <p>(6) चार्टर्ड इंजीनियर सिविल द्वारा प्रदत्त वस्तुवार मूल्यवार किये गये निर्माण का विवरण तथा इस आशय का प्रमाणपत्र कि किये गये निर्माण कार्य की गुणवत्ता औद्योगिक उपयोग हेतु ठीक है तथा इसके साथ बिल्डिंग के प्रमाणित फोटोग्राफ दिनांक सहित (एनेक्जर-ए/7)।</p> <p>(7) चार्टर्ड इंजीनियर मैकेनिकल द्वारा प्रदत्त वस्तुवार मूल्यवार मशीन उपकरणों का निर्धारित प्रारूप पर विवरण तथा इस आशय का प्रमाणपत्र कि कय किये गये समस्त मशीन उपकरण नवीन हैं तथा गुणवत्ता संतोषजनक है। इकाई के विस्तारीकरण/ आधुनिकीकरण की स्थिति में पूर्व से उपलब्ध मशीन उपकरणों की प्रमाणित सूची। (एनेक्जर-ए/8)</p> <p>(8) नोटरीकृत जमानती शपथपत्र निर्धारित रूप पत्र पर दी गयी सूचनायें सत्य हैं इस आशय का नोटरीकृत प्रमाणपत्र संलग्न किया जायेगा। (एनेक्जर-ए/6)</p> <p>(9) दुग्ध आयुक्त कार्यालय द्वारा गठित संयुक्त निरीक्षण दल द्वारा की गयी स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, जिसके द्वारा यह प्रमाणित किया जाये कि परियोजना का सम्पूर्ण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा इकाई व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ कर चुकी है। इकाई को द्वितीय किश्त अवमुक्त किये जाने की संस्तुति की जाती है।</p>	
10	<p>ब्याज उपादान की स्वीकृति एवं वितरण हेतु प्रक्रिया-</p> <p>आवेदक संस्था द्वारा प्लांट मशीनरी, तकनीकी, सिविल कार्य तथा स्पेयर पार्ट्स अथवा बैंकेवुल प्रोजेक्ट्स हेतु बैंक द्वारा वितरित ऋण के सापेक्ष भुगतान किये गये ब्याज का वित्तीय संस्था द्वारा निर्धारित प्रारूप (एनेक्जर-ए/13, एनेक्जर-ए/14)।</p> <p>वांछित प्रपत्रों के साथ होने के पश्चात सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जायेगी। तत्पश्चात इकाई से नान जुडीशियल स्टाम्प</p>	<p>आंशिक संशोधित।</p> <p>ब्याज उपादान अवमुक्त करने हेतु प्रक्रिया-</p> <p>(1) आवेदक संस्था द्वारा प्लांट मशीनरी, तकनीकी, सिविल कार्य तथा स्पेयर पार्ट्स हेतु बैंक द्वारा वितरित ऋण के सापेक्ष भुगतान किये गये ब्याज का वित्तीय संस्था द्वारा निर्धारित प्रारूप (एनेक्जर-ए/13, ए/14) पर क्लेम।</p> <p>(2) लाभार्थी/संस्था के प्रोमोटर द्वारा हस्ताक्षरित, चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा अभिप्रमाणित तथा बैंक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित प्रपत्र सं० जी०एफ०</p>

	पेपर पर प्राधिकृत संस्था के साथ क्षतिपूर्ति अनुबंध (एनेक्जर-ए/9) सम्पादित कराया जायेगा। अनुबंध के उपरांत स्टेट नोडल एजेंसी द्वारा सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर ब्याज उपादान की धनराशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी।	आर0-19 ए पर उपयोगिता प्रमाणपत्र (एनेक्जर-ए/5)
14	प्रशासनिक व्यय- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम दुग्ध प्रसंस्करण इकाईयों के प्रकरणों में आवेदक द्वारा स्वीकृत लाभों की धनराशि का 02 प्रतिशत के बराबर की राशि के प्रशासनिक व्ययों की पूर्तिपूर्ति स्टेट नोडल एजेंसी को दी जायेगी व इस राशि को वितरण की राशि में से घटा कर आवेदक को उपलब्ध कराया जायेगा।	विलोपित।

2- उ0प्र0 दुग्ध नीति-2018 के क्रियान्वयन हेतु निर्गत दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-1073/53-1-2018-1(विविध)/2018, दिनांक 19 नवम्बर, 2018 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश दिनांक 19 नवम्बर, 2018 की शेष व्यवस्था/शर्तें यथावत रहेंगी।

रविशंकर गुप्ता
विशेष सचिव।

संख्या- 84(1)/53-1-2022 एवं तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
- 2- निजी सचिव, मा0 दुग्ध विकास मंत्री जी, उ0प्र0।
- 3- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 4- विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
- 5- प्रमुख सचिव, पशुधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 6- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 7- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 8- दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास उ0प्र0।
- 9- प्रबन्ध निदेशक, पीसीडीएफ लि0, 29 पार्क, रोड, लखनऊ।
- 10- सचिव, उ0प्र0 राज्य दुग्ध परिषद, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 11- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
- 12- समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
- 13- निदेशक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
- 14- समस्त क्षेत्रीय दुग्धशाला विकास अधिकारी, उ0प्र0।
- 15- समस्त उप-दुग्धशाला विकास अधिकारी, उ0प्र0।
- 16- समस्त प्रधान प्रबन्धक/प्रबन्धक, दुग्ध संघ, उ0प्र0।
- 17- वित्त नियंत्रक, दुग्धशाला विकास उ0प्र0, लखनऊ।
- 18- वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
- 19- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बिन्दु गोपाल द्विवेदी)
उप सचिव।